क्रमांक : एफ–3–30/2021/तेरह : विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 180 की उप–धारा (2) के खण्ड (ण) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, विद्युत संस्थापनाओं के निरीक्षण तथा अनुमोदन के लिए फीस का उद्ग्रहण (मध्यप्रदेश) नियम, 2017 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :–

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 21 के पश्चात्, निम्नलिखित नियम जोड़ा जाए, अर्थात् :–

"22. केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा तथा विद्युत आपूर्ति संबंधी उपाय) विनियम, 2010 के विनियम 43 (1) एवं विनियम 30 (2) के अधीन अधिसूचित वोल्टेज तक की विद्युत संस्थापनाओं की स्व–प्रमाणन रिपार्ट के सत्यापन हेतु यथास्थिति, विद्युत संस्थापनाओं के स्वामी या आपूर्तिकर्ता या उपभोक्ता द्वारा विद्युत निरीक्षक को अनुसूची में विनिर्दिष्ट फीस के 50% के समतुल्य कोई फीस या रूपए 5,000/– जो भी कम हों, नियम 12 में विनिर्दिष्ट शीर्ष के अधीन शासकीय कोषालय में देय होंगे।"

No. F-3/30/2021/XIII. In exercise of the powers conferred by clause (O) of Sub-section (2) of Section 180 of the Electricity Act 2003 (No. 36 of 2003), the State Government hereby, makes the following amendment in the Levy of Fees for Inspection and Approval of Electrical Installation (Madhya Pradesh) Rules, 2017, namely:-

AMENDMENT

In the said rules, after rule 21, the following rule shall be added, namely:-

"22. For verification of self-certification reports of Electrical Installations upto the voltage notified under Regulation 43 (1) and Regulation 30 (2) of the Central Electricity Authority (Measures relating to Safety and Electric Supply) Regulation, 2010, a fees equivalent to 50% of the fees specified in the schedule or Rs. 5000/-, whichever is less shall be payable to the Electrical Inspector by the owner or supplier or consumer of the electrical installation, as the case may be, in the Government Treasury under the head specified in the rule 12.".

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय दुबे, प्रमुख सचिव.